

1- थाना कछवां पुलिस द्वारा अन्तर जनपदीय शातिर अपराधी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.08.2020 को व0उ0नि0 रमाकान्त सिंह थाना कछवां मयहमराह के साथ गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त मंगल बिन्दु पुत्र अलगू बिन्दु निवासी कटका रेलवे क्रॉसिंग थाना कछवां मीरजापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ कटका रेलवे क्रॉसिंग के पास से समय 21.20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कछवां पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी जिसके विरुद्ध जनपद भदोही के थाना औराई में मु0अ0स0-99/2010 धारा 395,397,302,412 भा0द0वि0 व मु0अ0स0 -122/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा वाराणसी के थाना रोहनिया व मिर्जामुराद में सहित 05 अभियोग पंजीकृत है।

2- थाना को0 कटरा पुलिस द्वारा शातिर अपराधी अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2020 को उ0नि0 अजय श्रीवास्तव चौकी प्रभारी मण्डी थाना को0 कटरा मयहमराह के साथ गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त आशीष पाल पुत्र रामदास पाल निवासी ककरहवा थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ कृष्णापुरी कालोनी के पास से समय 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना को0 कटरा पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी जिसके विरुद्ध कोतवाली कटरा पर 06 अभियोग पंजीकृत है।

3- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.08.2020 को उ0नि0 अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी करनपुर थाना कोतवाली देहात मय हमराह गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त शाजिद खां उर्फ भोलू पुत्र स्व0 शोएब खां निवासी चितावनपुर थाना कोतवाली देहात मीरजापुर को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस के साथ चितावनपुर हरई नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

4- थाना हलिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.08.2020 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार राम मय हमराह गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त शमीम उर्फ जंगाली पुत्र अमानतुल्लाह निवासी हलिया थाना हलिया मीरजापुर को एक अदद अवैध देशी तमंचा 303 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस के साथ कस्बा हलिया से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना हलिया पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

5- थाना चुनार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.08.2020 को उ0नि0 संजय सिंह यादव चौकी प्रभारी अदलपुरा थाना चुनार मय हमराह का0 अजीत मिश्रा, का0 कृष्णा यादव गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त जगदीश यादव पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी रूदौली थाना चुनार मीरजापुर को एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस के साथ साधव-माधव चौराहा से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना चुनार पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

6-थाना जिगना पुलिस शातिर अभियुक्त अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2020 को उ0नि0 हरिकेश सिंह थाना जिगना मयहमराह हे0का ओमप्रकाश यादव, का0 सत्येन्द्र कुमार, का0 प्रशान्त कुमार के साथ गश्त/ चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त पुनीत ठाकुर उर्फ छोटू पुत्र स्व0 अक्षयबर निवासी दुबहा थाना जिगना मीरजापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ दुबहा तिराहा के पास से समय 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना जिगना पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का है जिसके विरुद्ध थाना जिगना पर दो अभियोग चोरी व बरामदगी के पंजीकृत हैं, तथा रीवा मध्य प्रदेश में एक अभियोग चोरी का पंजीकृत है, तथा कोतवाली कटरा पर एक अभियोग पंजीकृत है।

